डीजी परिपत्र संख्या-27 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक : लखनऊः अगस्त 10 ,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना थरवई क्षेत्रांतर्गत ग्राम हेतापट्टी में दिनांक 07-08-2023 को समय करीब 01.30 बजे रात्रि को 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वस्त्रालय एवं आभूषण की दुकान/घर में घुसकर गृह स्वामी, गृह स्वामी की पत्नी व भाई को डण्डा से प्रहार कर घायल कर गहना व पैसा लूट ले गये। साथ ही चौकीदार की लाठी-डण्डों से हत्या कर दी गयी तथा उसकी पत्नी को घायल कर दिया गया।

2. उपरोक्त प्रकृति की घटित घटना प्रायः पेशेवर/घुमन्तू/बावरिया/कच्छा-बनियान गिरोह के सदस्यों द्वारा कारित करना पाया गया है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर से परिपत्र/आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन किया/कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटना घटित होने पर जहां एक ओर जनमानस में असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति जनमानस में आक्रोश उत्पन्न होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि गश्त व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाय, जिससे जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बनी रहे तथा इस प्रकार की घटित होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

4. इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित है-

- प्रायः देखा गया है कि बरसात एवं सर्दी के मौसम में घुमक्कड़/बावरिया/कच्छा-बनियानधारी गिरोहों की गतिविधियॉ बढ़ जाती हैं, जो कस्बो, गांवों एवं शहरों की नयी बस्तियों एवं एकान्त में बने मकानों को चिन्हित कर चोरी व लूट के अपराधों को अन्जाम देते हैं तथा कभी-कभी वीभत्स हिंसात्मक घटनायें भी कारित कर देते हैं। बरसात व सर्दी में अधिकतर लोग अपने-अपने मकानों में अन्दर ही सोते हैं, जिससे आस-पास के मकानों में हो रही इस प्रकार की घटनाओं का आभास आस-पास के लोगों को नहीं हो पाता है।
- बरसात के दौरान अंधेरी रातों व सूनसान स्थलों का लाभ उठाकर डकैती, लूट, नकबजनी, एटीएम चोरी, शटर काट कर चोरी, बिजली तार चोरी तथा रोड़ होल्डप जैसी

दुस्साहसिक/सनसनीखेज घटनायें कारित करते हैं, जिनमें प्रायः जनहानि होती है। अपराधी आसानी से ऐसे अपराध कारित करने में सफल हो जाते हैं। ऐसी वीभत्स घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व से प्रभावी व व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार कर समस्त पुलिस बल, गस्ती वाहन पर नियुक्त कर्मियों तथा राजपत्रित अधिकारियों की ब्रीफिंग कर ली जाय। विगत में घटित घटनाओं की समीक्षा कर हॉट-स्पॉट चिन्हित करते हुये सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध व योजनाबद्ध गस्त प्रणाली कार्यान्वित की जाय।

- जनपद के ऐसे क्षेत्र, जो इस प्रकार के अपराधों के लिये संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, ऐसे चिन्हित हॉट-स्पॉट पर विशेष रूप से रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे के मध्य नियमित रूप से गश्त करायी जाय। संवेदनशील राजमार्गों पर गस्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जायें तथा संवेदनशील स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगायी जाये। रात्रि गस्त हेतु थानों एवं चौकियों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नियुक्त किया जाये। गस्त चेकिंग के दौरान हूटर/सायरन/फ्लैस लाइट आदि का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाय।
- प्रत्येक जनपद में ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों को क्रियाशील कर ग्राम चौकीदारों के साथ गश्त करायी जाय। रात्रि गश्त करने वाले कर्मचारियों के पास डण्डा, टार्च, सीटी इत्यादि उपकरण अवश्य हों, जिसका वे गस्त के दौरान उपयोग करें तथा कर्मचारियों को कभी भी अकेले गश्त पर न भेजा जाय। Communication Plan का प्रभावी प्रयोग किया जाय। डायल-112 की वाहनों में लगे पुलिस बल को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ब्रीफ किया जाय तथा आवश्यकतानुसार इस दृष्टिकोण से उनका क्षेत्र पुनर्निर्धारित किया जाय।
- जनपद में रात्रि गश्त हेतु जोनल चेकिंग स्कीम व गश्त मिलान प्रणाली को सक्रिय कर लिया जाय। प्रतिदिन जनपद के प्रत्येक थाने के रात्रि में एक अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाय कि वह गश्त व्यवस्था का मूल्यांकन/समीक्षा एवं चेकिंग सुनिश्चित करे।
- इस प्रकार की घटनायें घटित होने की सम्भावना अंधेरे पक्ष (कृष्ण पक्ष) में अधिक होती हैं, अतएव शहर व कस्बों के बाहरी क्षेत्रों (Outskirts) के नव विकसित कालोनियों, चिन्हित हॉट-स्पॉट, संवेदनशील राजमार्गों, सूनसान/निर्जन स्थानों में विशेष रूप से पिकेट/गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- घुमक्कड़ अपराधियों के ठहरने के ठिकानों के विषय में शीघ्रातिशीघ्र पूरे जनपद में छानबीन करा ली जाय। विशेष रूप से कस्बों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन एवं सड़कों के किनारे लगे टेन्टों की चेकिंग करायी जाय, किन्तु यह भी सुनिश्चित करा लिया जाय कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय।
- प्रत्येक जनपद के रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के आस-पास भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का आवागमन व गतिविधियाँ रहती हैं। रेलवे स्टेशन के आस-पास प्रायः अपने अस्थायी ठिकाने बना लेते हैं तथा घटनायें कारित करने हेतु गैंग के सदस्यों के साथ

आवागमन हेतु ट्रेनों/बसों का प्रयोग करते हैं। अतएव जीआरपी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गस्त/चेकिंग की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जाय।

- इस प्रकार के गिरोहों के सदस्य प्रायः घटना कारित करने से पूर्व होटलों, ढ़ाबों व शराब की दुकानों के आस-पास शराब का सेवन करते हैं, अतः रात्रि में शराब ठेकों, ढ़ाबों इत्यादि के आस-पास भी संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जाय।
- जनपद स्तर पर पेशेवर/घुमक्कड़/बावरिया/कच्छा-बनियानधारी अपराधियों की एक सूची तैयार करा ली जाय। सूचीबद्ध किये गये अपराधियों को भौतिक सत्यापन करा लिया जाय। सत्यापन के दौरान सक्रिय/संदिग्ध पाये जाने वाले अपराधियों व उनके गैंगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करायी जाय। यदि वह जमानत पर हैं तो उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।
- अपराधियों के जमानतदारों का भी भौतिक सत्यापन करा लिया जाय। यदि जमानतदारों के नाम पता गलत पाये जायें तो ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार जो जमानतदार बार-बार इन अपराधियों की जमानत लेते रहते हैं, उनके विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही करायी जाय।
- पूर्व में इस प्रवृत्ति की घटित घटनाओं से सम्बन्धित लम्बित अभियोगों की समीक्षा कर ली जाय। यदि अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष हो तो उनकी गिरफ्तारी कराते हुये अभियोग का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराया जाय।
- उपरोक्त प्रवृत्ति के सनसनीखेज/जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुये अधिकाधिक सजा करायी जाय।
- इस प्रकार के गिरोहों एवं उनके सदस्यों के गैंगचार्ट तैयार कर उनके विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जाय तथा अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की भी कार्यवाही की जाय, ताकि उनकी सतत् रूप से निगरानी हो सके।
- इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की फोटो एवं सही नाम पता ज्ञात कर डाटा सुरक्षित एवं अद्यावधिक रखा जाय, ताकि इस प्रकार की घटना घटित होने पर इनका उपयोग अपराधियों की पहचान कराने हेतु किया जा सके। इस हेतु सीसीटीएनएस में फोटो अपलोड करने हेतु दिये गये प्राविधान का उपयोग किया जाय।
- प्रत्येक जनपद के स्थानीय अभिसूचना इकाई में नियुक्त कर्मियों को इस प्रकार के अपराधियों के विषय में अभिसूचना एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) द्वारा अपनी फील्ड इकाईयों को उपरोक्तानुसार सक्रिय करते हुये घुमक्कड़/बावरिया/कच्छा-बनियानधारी गिरोहों/अपराधियों पर सतर्क चौकसी रखते हुये यथा आवश्यक जनपदीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर ठोस कार्यवाही की जाय।

5. उपरोक्त दिशा-निर्देश केवल आप सभी के मार्गदर्शन के लिये हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपदों के आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपराध नियंत्रण पर अन्य आवश्यक कदम उठाने हेतु स्वतंत्र हैं।

6. मैं चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को इस निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

7. उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   <u>प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।